तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील म जारी हुए

23.3.2-

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सूनी गई प्रार्थी पक्ष के वकील ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुवे कहा की प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तहत निवेदन किया कि मौजा रोही चक 20 एमकेडी तहसील लूनकरनसर के मु0न0 161/43 के कि0न0 6 ता 25 में 20 बीघा कमाण्ड, मु0न0 161/44 के कि0न0 1 ता5 में 5 बीघा कमाण्ड, मु0न0 161/35 के किला नम्बर 6 में 1 बीघा अनकमाण्ड, कि0न0 15,16 25 में 3 बीघा कमाण्ड, मु0न0 161/36 के कि0न0 5ता7 में 3बीघा कमाण्ड, मु0न0161/50 के कि0न0 19 व 22 में 2 बीघा अनकमाण्ड मु0न0161/51 के कि0न01/2 में 18 बिस्वा कमाण्ड, कि0न0 अनकमाण्ड खाला सहित, किला नम्बर 2 में 1बीघा अनकमाण्ड खाला सहित, किला नम्बर 3 में 1 बीघा खाला सहित, किला नम्बर 8 में 1 बीघा अनकमाण्ड, किला नम्बर 9 में 1 बीघा कमाण्ड, कि0न0 10/2 में 18 बिस्वा अनकमाण्ड, कि0न0 11/2 में 18 बिस्वा कमाण्ड, कि0न0 12 व 13 में 2 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 17,18,19 में 3 बीघा कमाण्ड, किला नम्बर 20/1 में 18 बिस्वा कमाण्ड, कि0न0 21/1 में 18 बिस्वा कमाण्ड, कि0न0 22ता24 में 3 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 3.12 बीघा अनकमाण्ड, 12.12 बीघा कमाण्ड, 0.06 बीघा खाला – 25.10 बीघा कमाण्ड/ अनकमाण्ड खाला सहित इस प्रकार कुल तादादी 50.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खाला सहित खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज हैं।उक्त वादगत भूमि प्रार्थीनी दादा ससुर फूसाराम पुत्र लिखमाराम की सम्पति हैं। प्रार्थीनी के दादा ससुर के स्वर्गवास के पश्चात् वादगत भूमि फूसाराम के पुत्र/पुत्रियों/पत्नि के नाम दर्ज हुई। जिनमें पुत्रियों ने अपना हक व हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में रिलीज कर दिया इसलिए वादगत भूमि में अब जेठाराम के नाम से दर्ज हुआ और उसी के मुताबिक प्रार्थीनी एवं अप्राार्थीगण का कब्जेकाश्त के अनुसार कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं। उक्त वादगत भूमि हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पति होने के कारण प्रार्थीनी का अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज भूमि प्रार्थीनी का 1/5 हिस्सा कानूनन होने के कारण प्रार्थीनी का जन्म से हक व अधिकार निहित है जिसकी घोषणा करवाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने की प्रार्थीनी हकदार है। प्रार्थीनी के दइादा ससुर फूसाराम जीवित थे तब तक उनका एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण का अपने–अपने हिस्से अनुपात के मुताबिक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थीनी वादगत भूमि पर ढाणी बनाकर निवास कर रही हैं। अपना जीवन यापन कर रही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के बहकावे में अप्रार्थी सं 02 वादगत उपरोक्त पैतृक खातेदारी भूमि को बैचकर खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण द्वारा वादगत भूमि को विक्रय करने की धमकी देने के कारण प्रार्थीनी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक पैदा हो गया और उक्त स... दायर वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे ताकि ...क्त अविभाजित पैतृक कृषि भूमि में निहित हक ... अप्रार्थीगण प्रार्थीनी को बेदखल नहीं कर ना ही प्रार्थीनी शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी कर ।

पैरोकार राज द्वारा कहा गया की उक्त प्रार्थना पत्र निजि पैतृक कृषि भूमि के अधिकार से सम्बन्धित है अतः उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय में राज्य पक्ष की आवश्यकता नही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:07:38 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण की ओर जवाब प्रार्थना–पत्र पूर्व में अधिवक्ता श्री रामकरण मूण्ड द्वारा दिया जा चुका हैं। बहस के दौरान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुवे कहा कि प्रार्थीनी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है प्रार्थीनी काफी समय से अपने पिहर चली गयी है जबकी मौका पर घरेलू बंटवारे के हिसाब से प्रार्थीनी का पति मूलाराम काश्त कर रहा हैं। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 05 में प्रार्थीनी ने मनगढत कहानी बनाई है घरेलू बंटवारे के हिसाब से प्रार्थीनी के पति मूलाराम की चक 20 एमकेडी के मूरब्बा नं0 161/43 के कि0सं0 1,2,9ता12,19ता22 कुल 10 बिघा कमाण्ड भूमि हिस्सा में दे रखा हैं जिस पर प्रार्थीनी के पति मूलाराम का कब्जा व काश्त हैं मूलाराम द्वारा अपनी इच्छा से उपरोक्त किले घरेलू बंटवारे के हिसाब से लिये गए है जिस पर प्रार्थीनी किसी भी प्रकार हक्कदार नहीं हैं प्रार्थीनी के पति हक्कदार है जिसको घरेलू बंटवारा करके हिस्सा पांति दे दी गई हैं। प्रर्थना पत्र में प्रार्थीनी द्वारा पैरा संख्या 07 के तमाम तथ्य मनगढत होने से अस्वीकार हैं। क्योंकि उपरोक्त भूमि में प्रार्थीनी का कोई कानूनी हिस्सा पांति नहीं बनता हैं। प्रार्थीनी के पति को घरेलू बंटवारे के हिसाब से मूरब्बा नं0 161/43 के कि0सं0 1,2,9ता12,19ता22 कुल 10 बिघा कमाण्ड भूमि हिस्सा में दे रखी हैं अतः उक्त भूमि में प्रार्थीनी के पति का ही हिस्सा बन रहा है ना की प्रार्थीनी का । प्रार्थीनी का कोई कानूनी हिस्सा पांति जेठाराम की भूमि में नहीं बनता है वह मात्र अपने पिता की भूमि में ही विरासतन हिस्सा पांति की मोंग कर सकती है ससुर की भूमि में प्रार्थीनी का कोई हिस्सा पांति नहीं हैं। अतः किसी प्रकार का कानूनी हिस्सा पांति नहीं होने के कारण प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र मय कॉस्ट खरिज फरमाया जावें।

हमने उभय पक्षीय बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि कानूनन उक्त वादगत भूमि पर वारिसान को मिलने वाला हक्क प्रार्थीनी के पति का है उक्त भूमि में प्रार्थीनी का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं अतः उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता हैं पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो ।

यह आदेश आज दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.08.10 14:07:38 IST
Reason: SelfAttested